राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.13(   )लेखा/अंकेक्षण/विविध/2011–12   दिनांक

कार्यालय– आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान रूल्स/2017 दिनांक 01.10.2017 से प्रभावशील किये हैं। उक्त आदेशों में विभाग के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन हेतु विभाग के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–I को अधिकृत किया है।

वित्त विभाग के आदेशों की पालना में वेतन स्थिरीकरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभाग के सहायक लेखाधिकारियों–I को निम्नानुसार वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन हेतु निर्देशित किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद व कार्य का स्थान	विवरण
1.	समस्त सहायक लेखाधिकारी– I कार्यालय निदेशालय	निदेशालय एवं जहां पर सहायक लेखाधिकारी–I लम्बे अवकाश पर है, (विशेष परिस्थितियों में) उन कार्यालयों के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन
2.	समस्त सहायक लेखाधिकारी– I संभागीय कार्यालय	अपने कार्यालय एवं संभाग के अधीन समस्त कार्यालयों के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी– I	अजमेर सम्भाग कार्यालय एवं संभाग के अधीन समस्त कार्यालयों के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन
4.	श्री रविन्द्र कुमार बैरवा, सहायक लेखाधिकारी– I	उदयपुर सम्भाग कार्यालय एवं संभाग के अधीन समस्त कार्यालयों के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन
5.	श्री राजवीर सिंह, सहायक लेखाधिकारी– I बी.पी. लैब, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जयपुर को छोड़कर जामडोली स्थित सभी कार्यालयों के राजपत्रित/ अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन

वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन करते समय निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र की भलीभांति जांच कर लें कि विकल्प समयावधि में प्रस्तुत किया गया है एवं कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्राप्ति पर हस्ताक्षर मय दिनांक अंकित है तथा विकल्प प्राप्ति इन्द्राज सेवा पुस्तिका में करें तथा मूल विकल्प सेवा पुस्तिका पर आवश्यक रूप से चस्पा किया जावें।
2. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व सम्बन्धित कार्मिक के पुनरीक्षित वेतनमान 2008 (छठा संशोधन) प्रभावी 01.09.2006 एवं पुनः संशोधित 2013 (प्रभावी 01.01.06) तथा स्वीकृत एसीपी वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धियों/सेवा सत्यापन की भलीभांति जांच कर लें।
3. वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यालयाध्यक्ष वेतन निर्धारण प्रपत्र 03 प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी–I को प्रस्तुत करेंगे। सहायक लेखाधिकारी –I उनकी जांच पश्चात् अनुमोदन

कर सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि कर व्यक्तिगत वेतन को पृथक से दर्शावें। मूल सेवा पुस्तिका में स्थिरीकरण की प्रविष्टि मोहर लगाकर मय हस्ताक्षर के अंकित करें। एक प्रति रिकॉर्ड हेतु रखेंगे तथा 2 प्रतियां कार्यालयाध्यक्ष को लौटा देंगे।

4. वित्त विभाग के आदेश एफ.14(1)एफडी/रूल्स दिनांक 30.10.2017 अनुसार पु.वे.मा.(संशोधन) 2008 आदेश एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013–II दिनांक 28.06.2013 के शिड्यूल–5 परिशिष्ट 'ए' से 'ई' दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 30.06.2013 एवं दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2017 तक प्रथम निर्धारित वेतन को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्देशानुसार संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त संशोधन के पश्चात् ही पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के वेतन स्थिरीकरण प्रस्ताव के अनुमोदन की कार्यवाही की जावें तथा व्यक्तिगत वेतनमान की राशि का समायोजन भविष्य में सातवें वेतनमान/पदोन्नति/एसीपी/वेतनवृद्धि से की जायेगी।
5. वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.17 के बिन्दु संख्या 4 अनुसार पुनरीक्षित संशोधित वेतनमान 2017 में वेतन स्थिरीकरण अनुमोदन से पूर्व प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी से एक अण्डरटेकिंग लेना होगा जिसमें त्रुटिवश वेतन स्थिरीकरण के कारण कोई अधिक भुगतान यदि होगा तो उसकी वसूली उसके वेतन से कर ली जावें।
6. समस्त अति. निदेशक(क्षेत्र) अपने क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के बकाया स्थिरीकरण प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट (जिलेवार संकलित सूचना) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

प्रपत्र का प्रारूप (1)

अति. निदेशक(क्षेत्र) कार्यालय द्वारा निदेशालय को भेजी जाने वाली मासिक संकलित प्रगति सूचना

क्र. सं.	संयुक्त निदेशक एवं अधीनस्थ कार्यालय का नाम	कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या			माह में प्राप्त स्थिरीकरण प्रकरणों की संख्या			माह में निस्तारित प्रकरणों की संख्या			शेष प्रकरणों की संख्या		
		राज	अराज	योग	राज	अराज	योग	श्राज	अराज	योग	श्राज	अराज	योग

7. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरक्षः पालना की जावें।

Sd

(रमेश साँखला)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ.13( )लेखा/अंकेक्षण/विविध/2011–12 6925-7024 **दिनांक** 9/11/2017
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग, राजस्थान
2. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा) निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
5. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, पशुपालन विभाग ।
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रादेशिक पशु चिकित्सा, जैविक इकाई), जामडोली, जयपुर।
7. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी–प्रथम श्री.. पशुपालन विभाग, राज. जयपुर को पालनार्थ प्रेषित है ।
8. ACP को [illegible] up. load करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

Acc.Letters.docx